

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कविता बनाम रामगोपाल आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 02 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/30

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
10 02 2025	<p>प्रार्थी कविता पत्नी भगतराम जाति ब्राह्मण निवासी 22 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री जसप्रीत सिंह सैनी के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 22 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 46/34 के मुरब्बा नम्बर 40, 55/15 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)</b> <b>श्री करणपुर</b></p> <p>30<sup>5</sup>/<sub>25</sub> आज थरु पत्रावली पेशी मे ली गइ हस्तगत कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा 148(क) CPC प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली विनति होकर गुम्बर से कम होकर वापिल वकूत हो।</p>	



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)